

**Full Title of the Project:** Diversion of 0.124 ha. forest land for laying under ground Optical Fiber Cable for Reliance Jio Infocomm Ltd. route:- Naloi to Rajasthan Border total length 2.755 km. in Bhiwani District, under forest Divin. Bhiwani.

**File No. :** FP/HR/OFC/39760/2019

**Date of Submission:** 18.4.2019

**CHECK LIST SERIAL NUMBER: 16**

**SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF/DFO**

*(For the Forest land to be diverted under FCA)*

A proposal has been received by this office from Nodal Officer and Conservator of Forests (FC) for diversion (under FCA-1980) of 0.124 ha. forest land for laying under ground Optical Fiber Cable for Reliance Jio Infocomm Ltd. route:- Naloi to Rajasthan Border total length 2.755 km. in Bhiwani District, under forest Divin. Bhiwani.

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 9-07-2019

**No. tree felling involved**

2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a forest area measuring **0.124** ha.

3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

4 Whether any rare/ endangered/ unique species of flora and fauna found in the area. If so, the details thereof. NIL

5 Whether any protected archaeological/ heritage site/ defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from the competent authority. NIL

6 (a) The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.

(b) It has been found that the user agency has violated the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980 Indian Forest Act, 1927/ any other forest Act. A detailed report as per para 1.9 of Chapter 1, Part C of Hand-book of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached).


*(Note: Whichever of the above is applicable should be shown in bold letters)*

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

**May be considered for approval**

Place :....16.09..2019.....

Date: .....

(Signature)   
 Name .....  
**Divisional Forest Officer**  
 Designation .....  
**BHIWANI FOREST DIVISION**  
 Office Seal .....  


### उल्लंघन की रिपोर्ट

प्रयोक्ता एजेंसी Reliance Jio Ifocom Ltd. Mohali Punjab द्वारा

parives.nic.in पर किये गये ऑनलाईन प्रस्ताव बारे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 7.6.2019 को वन मण्डल कार्यालय में हार्ड कॉपी में प्राप्त हुआ। जिसके तहत गांव नलाई से राजस्थान सीमा तक 0.124 हैं। वनभूमि को केबल बिछाने के कार्य में प्रयोग किया जाना प्रस्तावित था। तदोपरात इस कार्यालय के पत्र 728 दिनांक 20.6.2019 द्वारा वन राजिक अधिकारी, सिवानी से मौका निरीक्षण उपरांत सूचना मांगी गई कि प्रस्ताव में वनभूमि का उपयोग होगा या नहीं और मौका पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना की गई है अथवा नहीं। वन राजिक अधिकारी, सिवानी द्वारा मौका निरीक्षण उपरांत उनके पत्र क्रमांक 126 दिनांक 25.6.2019 द्वारा इस कार्यालय को सूचना भेजी कि प्रस्ताव में कोई पेड़ बाधक नहीं है और मौका पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं है। वन राजिक अधिकारी, सिवानी की रिपोर्ट के बाद दिनांक 9.7.2019 को निम्नहस्ताक्षरी द्वारा मौका का निरीक्षण किया गया तो मौका पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना पाई गई और संज्ञान में आया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मौका पर केबल बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके पश्चात वर्ष 2019, सिवानी द्वारा उनके पत्र क्रमांक 281 दिनांक 13.9.2019 द्वारा पुनः सपष्ट रिपोर्ट भेजते हुये अवगत करवाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मौका पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना की गई है। इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये बैगर ही वनभूमि में से केबल बिछाने का कार्य पूर्ण करवा लिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1884 दिनांक 16.9.2019 द्वारा इस सम्बन्ध में वन राजिक अधिकारी, सिवानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है और प्रस्ताव उल्लंघना रिपोर्ट सहित आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

नक्काखाहा वा जा रहा है।  
प्रेषित है।